फर्द अहकाम

रामप्रताप बनाम छीतार वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 29/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29.04.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम महापुरा, पटवार हल्का महापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बरान 463 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 465 रकबा 0.78 हैक्टेयर, 466 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 467 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 468 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 469 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 470 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 471 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 480 रकबा 2.33 हैक्टेयर, 791/1759 रकबा 0.20 हैक्टेयर, 792 रकबा 0.60 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 4.76 हैक्टेयर सम्पूर्ण के प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार अंकित है। वाके ग्राम महापुरा, पटवार हल्का महापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बरान 464 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 793 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 794 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर सम्पूर्ण के अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 14 रेकार्डेड खातेदार काश्तकार जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार अंकित है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 792 रकबा 0.60 हैक्टेयर जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 794 रकबा 0.02 हैक्टेयर जो अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 14 की खातेदारी में दर्ज है जिसका नक्शा लट्ठा ट्रेस सन् 1983–84 वरवक्त भू–प्रबंध विभाग द्वारा तैयार किया गया था। उक्त इन्द्राज राजस्व नक्शा में लगातार चला आता रहा था। उक्त खसरा नम्बरान के बाद हाल ही सेग्रीगेशन नक्शा ट्रेस जो तैयार किया गया, उसमें खसरा नम्बर 792 के स्थान पर 794 तथा खसरा नम्बर 794 के स्थान पर खसरा नम्बर 792 लिपिकिय त्रुटिवश अंकित हो गया। प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी पूर्व में कभी नही रही। अभी वर्तमान में राजस्व रेकार्ड नकल हेतु हल्का पटवारी के पास जाने पर जानकारी हुई कि उक्त भूमि में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 792 के स्थान पर 794 राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित हो गया, जिस पर प्रार्थी के पुत्र द्वारा दुरूस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार बगरू को दिनांक 13.09.2023 को प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी गई तो पटवारी हल्का द्वारा शुद्धि नक्शा हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत कार्यवाही करने के लिये लिखा गया, तो उक्त कार्यवाही की जानकारी होने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। हाल ही में सेग्रीगेशन नक्शा ट्रेस जो तैयार किया, उसमें खसरा नम्बर 792 के स्थान पर 794 खसरा नम्बर 794 के स्थान पर 792 राजस्व कर्मचारियो द्वारा लिपिकिय त्रुटिवश अंकित कर दिया गया, जिसकी दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है, जबकि खसरा नम्बर 792 रकबा 0.60 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थी निरंतर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी को अधिकार है कि सेग्रीगेशन नक्शा ट्रेस तैयार करते समय जो राजस्व कर्मचारियो द्वारा नक्शे में की गई लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त करवाकर गत राजस्व नक्शे प्रार्थी के वर्तमान राजस्व	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:19:33 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अभिलेख जमाबंदी में दर्ज रकबे एवं मौके पर कब्जे अनुसार दुरूस्त करवाकर सही करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम महापुरा, पटवार हल्का महापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां होने के कारण प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 14 जो खसरा नम्बर 794 के खातेदार सहकाश्तकारान होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार इस आशय की दुरूस्ती की जावे कि ग्राम महापुरा, पटवार हल्का महापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 794 के स्थान पर 792 तथा खसरा नम्बर 792 के स्थान पर खसरा नम्बर 794 को दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार उपरोक्त खसरा नंबरान के राजस्व नक्शे में दुरूस्त किये जाने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाके ग्राम महापुरा, पटवार हल्का महापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 794 के स्थान पर 792 तथा खसरा नम्बर 792 के स्थान पर खसरा नम्बर 794 को दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार उपरोक्त खसरा नंबरान के राजस्व नक्शे में दुरूस्त किये जाने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम महापुरा, पटवार हल्का महापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि हाल राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 794 के स्थान पर 792 तथा खसरा नम्बर 792 के स्थान पर खसरा नम्बर 794 को दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार उपरोक्त खसरा नंबरान के राजस्व नक्शे में दुरूस्त किया जावें । आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:19:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)